मंगलचन्द बनाम यूआईटी, बीकानेर
(152 / 2011)

07.04.22

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् मंगलचन्द के फौत होने की सूचना दिनांक 06–03–2020 की आदेशिका में अंकित है। पत्रावली पर दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अपीलांट मंगलचन्द के जायज वारिसान द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आगामी कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण में अपीलांट् मंगलचन्द के अधिवक्ता द्वारा कथंन किया गया कि मंगलचन्द के वारिसान् को रिकार्ड पर उपस्थित आने हेतु कई बार सूचित करने के उपरान्त भी उनके द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् मंगलचन्द के वारिसान उनकी फौत होने के दो वर्ष के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। जिससे प्रतीत होता है कि वे प्रकरण को आगे चलाने के इच्छुक नहीं है। अतः अपील अपीलांट् के वारिसान की अनुपस्थिति में अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

7/4/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर